पत्रांक–1/ब0 1–10/2025–232/

बिहार सरकार

कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेषक,

महमूद आलम,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी,
बेगूसराय/कैमूर (भभुआ)।

पटना दिनांक 13/02/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में निधि का आवंटन।

महाशय,

स्वीकृत्यादेश संख्या 725 दिनांक 29.01.2026 के आलोक में जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को कार्यालय उपयोग में भाड़े के वाहन का किराया भुगतान के निमित्त वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–08 के अधीन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट शीर्ष '2205–कला एवं संस्कृति–001–निदेशन और प्रशासन–0001–कला और संस्कृति का संवर्धन,' विपत्र कोड 08–2205000010001, के अन्तर्गत विषय शीर्ष 1310–भाड़े की गाड़ी का भुगतान में तत्काल कुल राशि ₹ 3,25,000/–(तीन लाख पचीस हजार रूपये) मात्र का आवंटन निम्नांकित रूप से आपके निस्ताराधीन व्यय के लिए सौंपा जाता हैः–

क्र. सं.	कार्यालय/जिला का नाम	आवंटित राशि
1	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, बेगूसराय	₹ 1,60,000
2	जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)	₹ 1,65,000
	कुल योग–	**₹ 3,25,000**

2 यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं 227/वि0, दि0 28.03.2025 एवं 235 दिनांक 01.04.2025 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसीमा 100 प्रतिशत के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

3 राशि की निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, पी0 डब्लू0 डी0 कोड एवं वित्त विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्पों, पत्रों के आलोक में किया जायेगा।

4 वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–12888 दि0 03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में राशि की स्वीकृति दी गई है।

5 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6 उक्त आवंटन की व्यय विवरणी शीघ्र भेजे।

विश्वासभाजन

13/02/26

(महमूद आलम)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 232/ पटना, दिनांक 13/2/2026

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बेगूसराय/ कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 232/ पटना, दिनांक 13/2/2026

प्रतिलिपि :– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/मकेर बजट शाखा/आई0 टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/02/26

सरकार के संयुक्त सचिव।